Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 120–2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 25, 2020 (BHADRA 3, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 25th August, 2020

No. 28-HLA of 2020/72/11604.— The Haryana Panchayati Raj (Second Amendment and Validation) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :–

Bill No. 28–HLA of 2020

THE HARYANA PANCHAYATI RAJ (SECOND AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment and Validation) Act, 2020. Short title.

2. For section 9 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), the following section shall be substituted, namely:- Substitution of section 9 of Haryana Act 11 of 1994.

"9. Reservation of seats in Gram Panchayat.- (1) All wards in a Gram Panchayat and all Gram Panchayats in a block shall for the purpose of this section be sequentially numbered in such manner as may be prescribed:

Provided that for such sequential numbering the wards reserved for the Scheduled Castes shall be considered as one group and the remaining wards as another group.

(2) The offices of Panch in every Gram Panchayat shall be reserved for the Scheduled Castes in such a way that the number of seats reserved for the Scheduled Castes shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in that Gram Panchayat as the population of the Scheduled Castes to the total population in that Gram Sabha area and such seats shall be allotted to such wards having maximum percentage of population belonging to the Scheduled Castes.

(3) A woman who is otherwise qualified to be elected shall be allowed to contest only from such a ward of a Gram Panchayat that receives an even number in the sequential numbering arrived at for that group under sub-section (1) and a person other than a woman who is otherwise qualified to be elected shall be allowed to contest only from such a ward of a Gram Panchayat that receives an odd number in the sequential numbering arrived at for that group under sub-section (1) in any general elections and vice versa in the next general elections:

Provided that if in any Gram Panchayat there is only one ward reserved for the Scheduled Castes, then only a woman who is otherwise qualified to be elected and belonging to the Scheduled Castes shall be allowed to contest from such ward.

(4) Every Panchayat shall have one Panch belonging to Backward Classes if its population is two percent or more of the total population of the sabha area and such seat shall be allotted to such ward having maximum percentage of population of persons belonging to Backward Classes.

Explanation.— In case the same ward of a Gram Panchayat is eligible for reservation of Scheduled Castes and Backward Classes then that ward shall be reserved for Scheduled Castes and the reservation for Backward Classes shall be shifted to next eligible ward for Backward Classes.

(5) A woman who is otherwise qualified to be elected shall be allowed to contest only from such a Gram Panchayat that receives an even number in the sequential numbering and a person other than a woman who is otherwise qualified to be elected shall be allowed to contest only from such a Gram Panchayat that receives an odd number in the sequential numbering, for the office of Sarpanch in any general elections and vice versa in the next general elections.

(6) Offices of Sarpanch of Gram Panchayats in a block shall be reserved for the Scheduled Castes and the number of offices reserved shall bear the same proportion to the total number of offices of Sarpanches in the block, as the population of Scheduled Castes in the block bears to the total population of that block and such seats shall be rotated to different Gram Panchayats firstly having the largest maximum percentage population of Scheduled Castes and secondly having the next largest maximum percentage population of Scheduled Castes and so on until the last eligible Gram Panchayat is reserved and thereafter the cycle shall start again:

Provided that the office of the Sarpanch in a Gram Panchayat shall be reserved for Scheduled Castes only if the population of Scheduled Castes in that Gram Panchayat is more than ten percent of the total population.

(7) Eight percent of the total number of offices of Sarpanch in a block shall be reserved for Backward Classes (A) or such proportion of Sarpanches as the population of Backward Classes (A) in that block to the total population of the block, whichever is less, shall be reserved for Backward Classes (A) and such seats shall be rotated to different Gram Panchayats firstly having the largest maximum percentage of population of Backward Classes (A) and secondly having the next largest maximum percentage of population of such classes and so on until the last eligible Gram Panchayat is reserved and thereafter the cycle shall start again:

Provided that the office of the Sarpanch in a Gram Panchayat shall be reserved for Backward Classes (A) only if the population of Backward Classes (A) in that Gram Panchayat is more than 10% of the total population.

Explanation.— In case the same Gram Panchayat is eligible for reservation of Scheduled Castes and Backward classes (A) then that Gram Panchayat shall be reserved for Scheduled Castes and the reservation for Backward Classes (A) shall be shifted to next eligible Gram Panchayat for Backward Classes (A).

(8) Number of seats and their sequential numbering shall be re-fixed after every decennial census.".

3. For section 10 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :– Substitution of section 10 of Haryana Act 11 of 1994.

"10. Term of office.– (1) The term of office of Sarpanch shall be five years unless removed otherwise.

(2) A Sarpanch may be removed from his office by an order of the prescribed authority consequent to resolution passed, by not less than sixty percent of the votes of the total members of the Gram Sabha cast through a secret ballot, in an extra ordinary general meeting of Gram Sabha which was convened by such authority for the purpose:

Provided that no such meeting shall be convened unless a requisition in this behalf is made to the prescribed authority by not less than one-third of the total members of the Gram Sabha.

(3) On the requisition made under sub-section (2), the prescribed authority shall after inquiring into the genuineness thereof, convene the meeting of the Gram Sabha, within a period of thirty days from the date of receipt of the requisition:

Provided that no such process shall be initiated within a period of one year from the date of election of the Sarpanch and any subsequent motion of no-confidence shall not be maintainable within the interval of one year of the last meeting for removal of the Sarpanch.

(4) A meeting convened under sub-section (3) shall not be adjourned.

(5) As soon as the meeting convened under this section commences, the presiding officer shall read to the members present, the motion for the consideration of which the meeting has been convened and declare it to be open for debate.

(6) No debate on the motion under this section shall be adjourned.

(7) Such debate shall automatically terminate on the expiration of two hours from the time appointed for the commencement of the meeting, if it is not concluded earlier. On the conclusion of the debate or on the expiration of the said period of two hours, whichever is earlier, the motion shall be put to vote.".

4. For section 59 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- Substitution of section 59 of Haryana Act 11 of 1994.

"59. Reservation of seats.- (1) All wards in a Panchayat Samiti and all Panchayats Samitis in a district shall for the purpose of this section be sequentially numbered in such manner, as may be prescribed:

Provided that for such sequential numbering the wards reserved for the Scheduled Castes shall be considered as one group and the remaining wards as another group.

(2) The office of member in every Panchayat Samiti shall be reserved for the Scheduled Castes in such a way that the number of seats reserved for Scheduled Castes shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in that Panchayat Samiti as the population of the Scheduled Castes to the total population in that Panchayat Samiti area and such seats shall be allotted to such wards having maximum percentage of population belonging to Scheduled Castes.

(3) A woman who is otherwise qualified to be elected shall be allowed to contest only from such a ward of a Panchayat Samiti that receives an even number in the sequential numbering arrived at for that group under sub-section (1) and a person other than a woman who is otherwise qualified to be elected shall be allowed to contest only from such a ward of a Panchayat Samiti that receives an odd number in the sequential numbering arrived at for that group under sub-section (1) in any general elections and vice versa in the next general elections:

Provided that if in any Panchayat Samiti there is only one ward reserved for the Scheduled Castes, then a woman who is otherwise qualified to be elected and belonging to the Scheduled Castes shall be allowed to contest from such ward.

(4) Every Panchayat Samiti shall have one member belonging to Backward Classes elected from such ward having maximum percentage of population of persons belonging to Backward Classes.

Explanation.— In case the same ward of a Panchayat Samiti is eligible for reservation of Scheduled Castes and Backward classes then that ward shall be reserved for Scheduled Castes and the reservation for Backward Classes shall be shifted to next eligible ward for Backward Classes.

(5) A woman who is otherwise qualified to be elected shall be allowed to contest only from such a Panchayat Samiti that receives an even number in the sequential numbering and a person other than a woman who is otherwise qualified to be elected shall be allowed to contest only from such a Panchayat Samiti that receives an odd number in the sequential numbering, for the office of Chairman in any general elections and vice versa in the next general elections.

(6) Offices of Chairman of Panchayat Samitis in a district shall be reserved for Scheduled Castes and the number of offices reserved shall bear the same proportion to the total number of offices of Chairman in the District, as the population of Scheduled Castes in the District bears to the total population of that District and such seats shall be rotated to different Panchayat Samitis, firstly having the largest maximum percentage of population of Scheduled Castes and secondly having the next largest maximum percentage of population of Scheduled Castes and so on until the last eligible Panchayat Samiti is reserved and thereafter the cycle shall start again:

Provided that the office of the Chairman in a Panchayat Samiti shall be reserved for Scheduled Castes only if the population of Scheduled Castes in that Panchayat Samiti is more than ten percent of the total population.

(7) Number of seats and their sequential numbering shall be re-fixed after every decennial census.".

Substitution of section 120 of Haryana Act 11 of 1994.

5. For section 120 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:–

"120. Reservation of seats.- (1) All wards in a Zila Parishad and all Zila Parishads in the State shall for the purpose of this section be sequentially numbered in such manner, as may be prescribed:

Provided that for such sequential numbering the wards reserved for the Scheduled Castes shall be considered as one group and the remaining wards as another group.

(2) The offices of member in every Zila Parishad shall be reserved for the Scheduled Castes in such a way that the number of seats reserved for Scheduled Castes shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in that Zila Parishad as the population of the Scheduled Castes to the total population in that Zila Parishad area and such seats shall be allotted to such wards having maximum percentage of population belonging to Scheduled Castes.

(3) A woman who is otherwise qualified to be elected shall be allowed to contest only from such a ward of a Zila Parishad that receives an even number in the sequential numbering arrived at for that group under sub-section (1) and a person other than a woman who is otherwise qualified to be elected shall be allowed to contest only from such a ward of a Zila Parishad that receives an odd number in the sequential numbering arrived at for that group under sub-section (1) in any general elections and vice versa in the next general elections:

Provided that if in any Zila Parishad there is only one ward reserved for the Scheduled Castes, then a woman who is otherwise qualified to be elected and belonging to the Scheduled Castes shall be allowed to contest from such ward.

(4) Every Zila Parishad shall have one member belonging to Backward Classes elected from such ward having the maximum percentage of population of persons belonging to Backward Classes.

Explanation.— In case the same ward of a Zila Parishad is eligible for reservation of Scheduled Castes and Backward classes then that ward shall be reserved for Scheduled Castes and the reservation for Backward Classes shall be shifted to next eligible ward for Backward Classes.

(5) A woman who is otherwise qualified to be elected shall be allowed to contest only from such a Zila Parishad that receives an even number in the sequential numbering and a person other than a woman who is otherwise qualified to be elected shall be allowed to contest only from such a Zila Parishad that receives an odd number in the sequential numbering, for the office of President in any general elections and vice versa in the next general elections.

(6) Offices of President of Zila Parishads in the State shall be reserved for Scheduled Castes and the number of offices reserved shall bear the same proportion to the total number of offices of President in the State, as the population of Scheduled Castes in the State bears to the total population of that State and such seats shall be rotated to different Zila Parishads firstly having the largest maximum percentage of population of Scheduled Castes and secondly having the next largest maximum percentage of population of Scheduled Castes and so on until the last eligible Zila Parishad is reserved and thereafter the cycle shall start again:

Provided that the office of the President in a Zila Parishad shall be reserved for Scheduled Castes only if the population of Scheduled Castes in that Zila Parishad is more than ten percent of the total population.

(7) Number of seats and their sequential numbering shall be re-fixed after every decennial census.".

Validation.

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, any vacancy arising after the commencement of the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment and Validation) Act, 2020, but before the first general elections to the Panchayati Raj Institutions to be held after the commencement of the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment and Validation) Act, 2020 shall be filled up in accordance with the law in force prior to commencement of the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment and Validation) Act, 2020.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, the provisions regarding removal of Sarpanch as provided in the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment and Validation) Act, 2020 shall be applicable after the first general elections to the Panchayati Raj Institutions to be held after the commencement of the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment and Validation) Act, 2020.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This amendment has been proposed to give effect to the provisions of Article 243D of the Constitution of India in a manner that would further enhance participation of women in the functioning of all three tiers of Panchayati Raj Institutions and to provide for reservation of Backward Classes (A) for Sarpanches. This progressive change will help in empowerment of women and to uplift the status of Backward Classes (A) in the society.

The amendment also introduces a provision for recall of an elected Sarpanch reflecting his accountability to the Gram Sabha. The intent of the provision is to enhance democratic accountability of the governing in Panchayati Raj Institution towards the governed.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

Chandigarh: R. K. NANDAL,
The 25th August, 2020. Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 28 एच.एल.ए.

हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :– 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 9 का प्रतिस्थापन।

''9. ग्राम पंचायत में स्थानों का आरक्षण.– (1) किसी ग्राम में सभी वार्डों तथा किसी खण्ड में सभी ग्राम पंचायत को इस धारा के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अनुक्रम में क्रमांकित किया जाएगा :

परन्तु ऐसे अनुक्रमिक क्रमांकन के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों को एक ग्रुप के रूप में तथा शेष वार्डों को दूसरे ग्रुप के रूप में समझा जाएगा।

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंच का पद, ऐसे ढंग में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होगा कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, उस ग्राम सभा में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के रूप में उस ग्राम पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी तथा ऐसे स्थान, अनुसूचित जातियों से संबंधित जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता रखने वाले ऐसे वार्डों को आबंटित किए जाएंगे।

(3) किसी सामान्य निर्वाचन तथा आगामी सामान्य निर्वाचन में विलोमत में, किसी महिला, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, को केवल ग्राम पंचायत के ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो उप–धारा (1) के अधीन उस ग्रुप के लिए अनुक्रमिक क्रमांकन में सम संख्या प्राप्त करता है तथा महिला से भिन्न किसी व्यक्ति, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, को केवल ग्राम पंचायत के ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो उप–धारा (1) के अधीन उस ग्रुप के लिए अनुक्रमिक क्रमांकन में विषम संख्या प्राप्त करता है :

परन्तु यदि किसी ग्राम पंचायत में, जहाँ अनुसूचित जातियों के लिए केवल एक वार्ड आरक्षित है, तो केवल महिला, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है और अनुसूचित जातियों से संबंधित है, को ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) प्रत्येक पंचायत में पिछड़े वर्गों से संबंधित एक पंच होगा, यदि इसकी जनसंख्या, सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या के दो अथवा दो प्रतिशत से अधिक है और ऐसा स्थान, पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता रखने वाले ऐसे वार्ड को अनुज्ञात किया जाएगा।

व्याख्या.– यदि किसी ग्राम पंचायत का एक ही वार्ड, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए वांछनीय है, तो वह वार्ड अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होगा और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, पिछड़े वर्गों के लिए आगामी वांछनीय वार्ड में स्थानांतरित हो जाएगा।

(5) किसी सामान्य निर्वाचन और आगामी सामान्य निर्वाचन में विलोमत में किसी सरपंच के पद हेतु, किसी महिला, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, को केवल ऐसी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो अनुक्रमिक क्रमांकन में सम संख्या प्राप्त करती है तथा महिला से भिन्न किसी व्यक्ति, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने कि लिए योग्य है, को केवल ऐसी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो अनुक्रमिक क्रमांकन में विषम संख्या प्राप्त करती है।

(6) किसी खण्ड में ग्राम पंचायतों के सरपंचों के पदों को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया जाएगा और आरक्षित पदों की संख्या, उस खण्ड की कुल जनसंख्या में खण्ड में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुसार खण्ड में सरपंचों के कुल पदों की संख्या के समरूप अनुपात में होगी और ऐसे स्थान, प्रथमतः अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की सबसे बड़ी अधिकतम प्रतिशतता रखने वाली और दूसरी बार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की आगामी सबसे बड़ी अधिकतम प्रतिशतता रखने वाली भिन्न–भिन्न ग्राम पंचायतों के लिए चक्रानुक्रम में होंगे और इसी प्रकार जब तक अंतिम वांछनीय ग्राम पंचायत आरक्षित नहीं की जाती है और उसके बाद क्रम दुबारा से आरम्भ होगा :

परन्तु किसी ग्राम पंचायत में सरपंच का पद, अनुसूचित जातियों के लिए केवल तभी आरक्षित होगा, यदि उस ग्राम पचांयत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या उस ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या के दस प्रतिशत से अधिक है।

(7) किसी खण्ड में सरपंच के कुल पदों की संख्या का आठ प्रतिशत, पिछड़े वर्ग (क) के लिए आरक्षित होगी अथवा खण्ड की कुल जनसंख्या का उस खण्ड में पिछड़े वर्ग (क) की जनसंख्या, जो भी कम हो, के रूप में सरपंचों का ऐसा अनुपात, पिछड़े वर्ग (क) के लिए आरक्षित होगा और ऐसे स्थान, प्रथमतः पिछड़े वर्ग (क) की जनसंख्या की सबसे बड़ी अधिकतम प्रतिशतता रखने वाली और दूसरी बार पिछड़े वर्ग (क) की जनसंख्या की सबसे बड़ी अधिकतम प्रतिशतता रखने वाली भिन्न–भिन्न ग्राम पंचायतों के लिए चक्रानुक्रम में होंगे और इसी प्रकार जब तक अंतिम वंछित ग्राम पंचायत आरक्षित नहीं की जाती है और उसके बाद क्रम दुबारा से आरम्भ होगा :

परन्तु किसी ग्राम पंचायत में सरपंच का पद, पिछड़े वर्ग (क) के लिए केवल तभी आरक्षित होगा, यदि उस ग्राम पचांयत में पिछड़े वर्ग (क) की जनसंख्या, उस ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या के दस प्रतिशत से अधिक है।

व्याख्या.– यदि एक ही ग्राम पंचायत, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग (क) के आरक्षण के लिए वांछनीय है, तो वह ग्राम पंचायत, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होगी और पिछड़े वर्ग (क) के लिए आरक्षण, पिछड़े वर्ग (क) के लिए आगामी वांछनीय ग्राम पंचायत में स्थानांतरित हो जाएगी।

(8) स्थानों की संख्या और उनके अनुक्रमिक क्रमांकन, प्रत्येक दस वर्षीय जनगणना के बाद पुनः नियत किया जाएगा।"।

1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 10 का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"पदावधि.– (1) सरपंच की पदावधि, जब तक अन्यथा से हटाया नहीं जाता है, पाँच वर्ष होगी।

(2) ग्राम सभा की असाधारण सामान्य बैठक, जो इस प्रयोजन के लिए ऐसे प्राधिकारी द्वारा बुलाई गई थी, में गुप्त मतदान के माध्यम से ग्राम सभा के कुल सदस्यों द्वारा किए गए मतों के कम से कम साठ प्रतिशत द्वारा पारित संकल्प के परिणामस्वरूप विहित प्राधिकारी के आदेश द्वारा किसी सरपंच को उसके पद से हटाया जा सकता है :

परन्तु विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी कोई भी बैठक तब तक नहीं बुलाई जाएंगी जब तक ग्राम सभा के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई द्वारा इस निमित्त माँग नहीं की जाती है।

(3) उप–धारा (2) के अधीन की गई माँग पर विहित प्राधिकारी, उसकी यथार्थता की जांच करने के बाद, माँग प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा :

परन्तु कोई भी ऐसी प्रक्रिया, सरपंच के चुनाव की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर संस्थित नहीं की जाएगी और किसी पश्चात्वर्ती अविश्वास प्रस्ताव, सरपंच को हटाने के लिए अंतिम बैठक के एक वर्ष के मध्यांतर में चलाने योग्य नहीं होगी।

(4) उप–धारा (3) के अधीन बुलाई गई कोई बैठक स्थगित नहीं की जाएगी।

(5) इस धारा के अधीन यथाशीघ्र बुलाई गई बैठक प्रारम्भ होती है, तो पीठासीन अधिकारी, विचारे जाने वाले प्रस्ताव, जिसके लिए बैठक बुलाई गई है, को उपस्थित सदस्यों के लिए पढ़ेगा और की जानी वाली खुली बहस के लिए घोषणा करेगा।

(6) इस धारा के अधीन प्रस्ताव पर कोई बहस स्थगित नहीं की जाएगी।

(7) ऐसी बहस बैठक के आरम्भ के लिए नियत समय से दो घण्टे की समाप्ति पर स्वतः ही समाप्त होगी, यदि इस पर पहले ही निष्कर्ष नहीं होता है, बहस के निष्कर्ष पर या उक्त दो घण्टे की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाएगा।''।

4. मूल अधिनियम की धारा 59 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 59 का प्रतिस्थापन।

''59. स्थानों का आरक्षण.— (1) पंचायत समिति के सभी वार्डों और किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को इस धारा के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अनुक्रम में क्रमांकित किया जाएगा :

परन्तु ऐसे अनुक्रमिक क्रमांकन के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों को एक ग्रुप के रूप में तथा शेष वार्डों को दूसरे ग्रुप के रूप में समझा जाएगा।

(2) प्रत्येक पंचायत समिति में सदस्य का पद, ऐसे ढंग में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होगा कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, उस पंचायत समिति के क्षेत्र में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के रूप में उस पंचायत समिति में कुल स्थानों की संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी तथा ऐसे स्थान, अनुसूचित जातियों से संबंधित जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता रखने वाले ऐसे वार्डों को आबंटित किए जाएंगे।

(3) किसी सामान्य निर्वाचन तथा आगामी सामान्य निर्वाचन में विलोमत में, किसी महिला, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, को केवल पंचायत समिति के ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो उप–धारा (1) के अधीन उस ग्रुप के लिए अनुक्रमिक क्रमांकन में सम संख्या प्राप्त करता है तथा महिला से भिन्न किसी व्यक्ति, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, को केवल पंचायत समिति के ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो उप–धारा (1) के अधीन उस ग्रुप के लिए अनुक्रमिक क्रमांकन में विषम संख्या प्राप्त करता है :

परन्तु यदि किसी पंचायत समिति में, जहाँ अनुसूचित जातियों के लिए केवल एक वार्ड आरक्षित है, तो केवल महिला, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है और अनुसूचित जन–जातियों से संबंधित है, को ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) प्रत्येक पंचायत समिति में पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता रखने वाले ऐसे वार्ड से निर्वाचित पिछड़े वर्गों से संबंधित एक सदस्य होगा ।

व्याख्या.— यदि किसी पंचायत समिति का एक ही वार्ड, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए वांछनीय है, तो वह वार्ड अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होगा और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, पिछड़े वर्गों के लिए आगामी वांछनीय वार्ड में स्थानांतरित हो जाएगा।

(5) किसी सामान्य निर्वाचन और आगामी सामान्य निर्वाचन में विलोमत में किसी अध्यक्ष के पद हेतु , किसी महिला, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, को केवल ऐसी पंचायत समिति से चुनाव लड़ने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो अनुक्रमिक क्रमांकन में सम संख्या प्राप्त करती है तथा महिला से भिन्न किसी व्यक्ति, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने कि लिए योग्य है, को केवल ऐसी पंचायत समिति से चुनाव लड़ने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो अनुक्रमिक क्रमांकन में विषम संख्या प्राप्त करती है।

(6) किसी खण्ड में पंचायत समिति के अध्यक्ष के पदों को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया जाएगा और आरक्षित पदों की संख्या, उस जिले की कुल जनसंख्या में जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुसार जिले में अध्यक्ष के कुल पदों की संख्या के समरूप अनुपात में होगी और ऐसे स्थान, प्रथमतः अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की सबसे बड़ी अधिकतम प्रतिशतता रखने वाली और दूसरी बार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की आगामी सबसे बड़ी अधिकतम प्रतिशतता रखने वाली भिन्न–भिन्न पंचायत समितियों के लिए चक्रानुक्रम में होंगे और इसी प्रकार जब तक अंतिम वांछनीय पंचायत समिति आरक्षित नहीं की जाती है और उसके बाद क्रम दुबारा से आरम्भ होगा :

परन्तु किसी पंचायत समिति में अध्यक्ष का पद, अनुसूचित जातियों के लिए केवल तभी आरक्षित होगा, यदि उस पचांयत समिति में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या उस पंचायत समिति की कुल जनसंख्या के दस प्रतिशत से अधिक है।

(7) स्थानों की संख्या और उनके अनुक्रमिक क्रमांकन, प्रत्येक दस वर्षीय जनगणना के बाद पुनः नियत किया जाएगा।"।

1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 120 का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 120 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''120. स्थानों का आरक्षण.– (1) किसी जिला परिषद् में सभी वार्ड और राज्य में सभी जिला परिषदों को इस धारा के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अनुक्रम में क्रमांकित किया जाएगा :

परन्तु ऐसे अनुक्रमिक क्रमांकन के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों को एक ग्रुप के रूप में तथा शेष वार्डों को दूसरे ग्रुप के रूप में समझा जाएगा।

(2) प्रत्येक जिला परिषद् में सदस्यों के पद, ऐसे ढंग में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, उस जिला परिषद् के क्षेत्र में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के रूप में उस जिला परिषद् में कुल स्थानों की संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी तथा ऐसे स्थान, अनुसूचित जातियों से संबंधित जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता रखने वाले ऐसे वार्डों को आबंटित किए जाएंगे।

(3) किसी सामान्य निर्वाचन तथा आगामी सामान्य निर्वाचन में विलोमत में, किसी महिला, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, को केवल जिला परिषद् के ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो उप–धारा (1) के अधीन उस ग्रुप के लिए अनुक्रमिक क्रमांकन में सम संख्या प्राप्त करता है तथा महिला से भिन्न किसी व्यक्ति, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, को केवल जिला परिषद् के ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो उप–धारा (1) के अधीन उस ग्रुप के लिए अनुक्रमिक क्रमांकन में विषम संख्या प्राप्त करता है :

परन्तु यदि किसी जिला परिषद् में, जहाँ अनुसूचित जातियों के लिए केवल एक वार्ड आरक्षित है, तो केवल महिला, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है और अनुसूचित जातियों से संबंधित है, को ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) प्रत्येक जिला परिषद् में पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता रखने वाले ऐसे वार्ड से निर्वाचित पिछड़े वर्गों से संबंधित एक सदस्य होगा ।

व्याख्या.– यदि किसी जिला परिषद् का एक ही वार्ड, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए वांछनीय है, तो वह वार्ड अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होगा और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, पिछड़े वर्गों के लिए आगामी वांछनीय वार्ड में स्थानांतरित हो जाएगा।

(5) किसी सामान्य निर्वाचन और आगामी सामान्य निर्वाचन में विलोमत में किसी प्रधान के पद हेतु , किसी महिला, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, को केवल ऐसी जिला परिषद् से चुनाव लड़ने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो अनुक्रमिक क्रमांकन में सम संख्या प्राप्त करती है तथा महिला से भिन्न किसी व्यक्ति, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने कि लिए योग्य है, को केवल ऐसी जिला परिषद् से चुनाव लड़ने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो अनुक्रमिक क्रमांकन में विषम संख्या प्राप्त करती है।

(6) राज्य में जिला परिषद् के प्रधान के पदों को अनूसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया जाएगा और आरक्षित पदों की संख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुसार राज्य में अध्यक्ष के कुल पदों की संख्या के समरूप अनुपात में होगी और ऐसे स्थान, प्रथमतः अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की सबसे बड़ी अधिकतम प्रतिशतता रखने वाली और दूसरी बार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की आगामी सबसे बड़ी अधिकतम प्रतिशतता रखने वाली भिन्न–भिन्न जिला परिषदों के लिए चक्रानुक्रम में होंगे और इसी प्रकार जब तक अंतिम वांछनीय जिला परिषद् आरक्षित नहीं की जाती है और उसके बाद क्रम दुबारा से आरम्भ होगा :

परन्तु किसी जिला परिषद् में प्रधान का पद, अनुसूचित जातियों के लिए केवल तभी आरक्षित होगा, यदि उस जिला परिषद में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या उस जिला परिषद् की कुल जनसंख्या के दस प्रतिशत से अधिक है।

(7) स्थानों की संख्या और उनके अनुक्रमिक क्रमांकन, प्रत्येक दस वर्षीय जनगणना के बाद पुनः नियत किया जाएगा।"।

(1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ के बाद, किन्तु हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ के बाद पंचायती राज संस्थाओं के आयोजित किए जाने वाले प्रथम सामान्य निर्वाचनों से पूर्व होने वाली कोई रिक्ति, हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ से पूर्व लागू विधि के अनुसार भरी जाएगी। विधिमान्यकरण।

(2) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सरपंच को हटाने बारें, हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020 के उपबन्ध, हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ के बाद पंचायती राज संस्थाओं के आयोजित किए जाने वाले प्रथम सामान्य निर्वाचनों के बाद लागू होंगे।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

यह संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 घ के उपबन्धों को इस रीति से प्रभावी रूप देने के लिए, जो पंचायती राज संस्थानों की सभी तीनों संस्थाओं की कार्यप्रणाली में महिलाओं की भागेदारी को आगे बढ़ाने तथा संरपचों के लिए पिछड़े वर्ग (क) के आरक्षण के लिए प्रावधान करने हेतु, प्रस्तावित किया गया है। यह प्रगतिशील परिवर्तन समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण तथा पिछड़े वर्ग (क) के स्तर के उत्थान में मदद करेगा।

यह संशोधन किसी निर्वाचित सरपंच, जो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है, को वापिस बुलाने हेतु उपबन्ध का प्रावधान भी करता है। इस उपबन्ध का आशय पंचायती राज संस्थाओं में शासक की शासित के प्रति प्रजातान्त्रिक जवाबदेही को बढ़ाना है।

दुष्यंत चौटाला,
उप–मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 25 अगस्त, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।

8878—H.V.S.—H.G.P. Pkl.